1322535 60
12/4/18

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड-पत्र

संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 96

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 11/4/18

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004-

विषय:-दिनांक 31-12-2015 एवं इसके पश्चात मृत पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन संशोधन/ निर्धारण करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स2017दिनांक 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 एवं 24.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/947-1000H दिनांक 21.03.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे |

सलंग्न:- पत्र दिनांक 21.03.2018 की प्रति

भवदीय,

11-4-18

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

Office of the Pr. Accountant General (A&E)
INWARD
16 APR 2018
No.
Telangana, Hyderabad-500 004

PH - OG TS.

O/o Prl. Accountant General (A&E) AP & Telangana, Hyderabad

509627

509627

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(294)निपेवि/नियम/2017/947-1011 दिनांक : 21/03/2018

141

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बडौदा भवन क्षेत्रीय कार्यालय पंचवी मंजिल एयरपोर्ट प्लाजा टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग जीवन निधि भवन अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड, जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी–4 सेक्टर 2 जवाहर नगर जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 6 वां तल फॉर्च्यून हाइट्स सी–94, मुख्य सुभाष मार्ग अहिंसा सर्किल सी–स्कीम, जयपुर।
11. उपमहाप्रबन्धक (बैंकिग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस–I) एसबीआई, नेहरू पैलेस टोंक रोड, जयपुर।
12. सहायक महाप्रबन्धक (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता, जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी, ...

PA
9.4.18

विषयः– दिनांक 31.12.2015 एवं इसके पश्चात् मृत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन/निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक प.12(6)/वित्त/नियम /2017 दिनांक 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 एवं 24.01.2018.

हिन्दी-33
09-4-18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की अनुपालना में बैंकों को दिनांक 31.12.2015 तक के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन को बिना आवेदन के 2.57 से गुणा कर संशोधित करने के निर्देश इस विभाग द्वारा भी जारी किये जा चुके हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन कर भुगतान भी प्रारम्भ कर दिया है। जिन पेंशनर्स की मृत्यु दिनांक 31.12.2015 के बाद हो गई है इनके परिवार को पूर्व में अधिकृति में अंकित आधार पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, उनकी पारिवारिक पेंशन का संशोधन बैंकों के द्वारा उक्त आदेशों के अनुसार इसलिये नहीं किया गया क्योंकि उक्त दिनांक 31.12.2015 को पेंशनर के परिवार का सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा था। पारिवारिक पेंशन का भुगतान की देयता दिनांक 31.12.2015 के बाद होने के कारण पारिवारिक पेंशन का संशोधन सम्बन्धित कोषाधिकारी के द्वारा ही निम्नानुसार किया जाना वांछित है, जिससे पेंशनर

के ऐरियर का भुगतान राज्य सरकार के आदेशानुसार एक मुश्त किया जा सके तथा पारिवारिक पेंशन का सही निर्धारण होकर सॉफ्टवेयर में भी तदनुसार आवश्यक दुरस्ती हो सके :-

1. दिनांक 31.12.2015 के पश्चात मृत पेंशनर्स के परिवार को पारिवारिक पेंशन का संशोधन उनके द्वारा छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अनुसार किया जाना है। अतिरिक्त पेंशन की राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना है।
2. पेंशन संशोधन के समय पेंशनर के पी.पी.ओ में वर्णित पारिवारिक पेंशन छठे वेतनमान में होने पर ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे।
3. सेवानिवृति के बाद पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान 7 वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक ही किया जाना है। तत्पश्चात इन प्रकरणों में आगे से घटी हुई दर को 2.57 से गुणा कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जावेगा।
4. पेंशनर के जीवनकालीन पेंशन अन्तर की राशि सातवें वेतनमान में करने पर, अगर कोई ऐरियर की राशि बनती है, तो पारिवारिक पेंशनर को पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त नगद में किया जावेगा।
5. जिन पारिवारिक पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन राशि रु 3450/- प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है, इन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन राशि को 2.57 से गुणा करनें पर, जो भी राशि आती है यथा रु 8,867/- आता है तो यह देय होगी, न की न्यूनतम संशोधित पेंशन रू 8850/-। लेकिन यदि संशोधित पेंशन राशि रु 8850/- प्रतिमाह से कम आती है तो न्यूनतम पेंशन राशि रु 8850/- देय होगी।
6. सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पारिवारिक पेंशन पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से 4 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2017 से 5 प्रतिशत महँगाई राहत का भुगतान देय होगा।

अतः समस्त बैंकर्स को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर की पत्रावली मय पेंशनर के पी.पी.ओ. के सम्बन्धित कोषाधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र अग्रेषित करें। कोषाधिकारी के द्वारा बैंकों से जैसे ही पत्रावली प्राप्त हो पारिवारिक पेंशन का शीघ्र सातवें वेतनमान में निर्धारण कर सॉफ्टवेयर में आवश्यक इंद्राज कर सम्बन्धित बैंक को वापस भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार असवाल)
निदेशक
दिनांक :

क्रमांक : प.5(294)निपेवि/नियम/2017/

प्रतिलिपिः- निम्नांकितो को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक (NIC) कार्यालय हाजा।
2. D.D, I.F.P.M.S कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के सम्बन्ध में

निदेशक